



SPRINGFIELD, ILLINOIS

24 मार्च, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-12

**COVID-19 की प्रतिक्रिया में कार्यकारी आदेश**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 10)**

जबकि, 2019 के उत्तरार्ध में, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) का एक नया और उल्लेखनीय प्रकोप उभरा; और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोखिम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जबकि, COVID-19 एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था ("राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा" (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन); और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 को एक वैश्विक महामारी के रूप में अभिलक्षणित किया था; और,

जबकि, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संघीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (CDC) ने यह घोषणा की है कि इसका फैलना अपेक्षित है; और,

जबकि, COVID-19 के पुष्ट मामलों वाले समुदायों में, CDC वर्तमान में गंभीरता घटाने वाले उपायों की अनुशंसा कर रहा है, जिनमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, बीमार होने पर घर पर ही रहना, परिवार के किसी सदस्य के श्वसन रोग के लक्षणों के साथ बीमार होने पर या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा निर्देश दिए जाने पर घर पर ही रहना, और अन्य रोगियों से दूर रहना शामिल हैं; और,

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छः फीट की दूरी बनाए रखनी होती है, हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

**जबकि,** वर्तमान परीक्षण उपलब्धता से संपूर्ण इलिनॉय राज्य में पुष्ट मामलों का और प्रसार होने की पहचान हुई है, और यह अपेक्षित है कि वर्धित परीक्षण क्षमता यह दर्शाएगी कि COVID-19 संपूर्ण इलिनॉय में ऐसे समुदायों में भी संचारित हो रहा है जहां वर्तमान में किसी भी पुष्ट मामले की पहचान नहीं हुई है; और,

**जबकि,** COVID-19 का जारी प्रसार एवं विषाणु (वायरस) के द्वारा जनता के स्वास्थ्य एवं कुशल-क्षेम के लिए प्रस्तुत खतरा, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल का विस्तार करना आवश्यक करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलिनॉय में COVID-19 वैश्विक महामारी की स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया में सहायता देने के लिए पर्याप्त पेशेवर हों; और,

**जबकि,** CDC, अनावश्यक स्वास्थ्य देखभाल मुलाकातों को घटाने और स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में श्वसन विषाणुओं (वायरस) के संचार की रोकथाम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में यह अनुशंसा करता है कि इकाइयों में देखभाल पाने हेतु आने वाले लोगों की संख्या घटाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता रोगियों का आकलन करने और उनकी देखभाल करने के लिए औपचारिक या अन्य प्रकार की दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ) प्रणालियों का उपयोग करें; और,

**जबकि,** 20 मार्च, 2020 को मैंने दस से अधिक व्यक्तियों के किसी भी एकत्रण को निषिद्ध करने के लिए कार्यकारी आदेश 2020-10 जारी किया था, जिसमें वर्णित कुछ सीमित गतिविधियों को उक्त आदेश से छूट दी गई है, और उक्त आदेश में व्यक्तियों के लिए अपने घर पर या निवास स्थान में ही रहना आवश्यक किया गया है, तब के सिवाय जब उन्हें आवश्यक गतिविधियां, आवश्यक सरकारी कार्य, या आवश्यक व्यापार संचालित करने हों; और,

**जबकि,** स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, जिनमें गृह स्वास्थ्य, गृह सेवाओं, और गृह उपचर्या (नर्सिंग) एजेंसियों और उनके द्वारा सेवित रोगियों को सेवाएं देने वाले व्यक्ति शामिल हैं, का COVID-19 से संभावित संपर्क सीमित करना इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) के लिए एक प्राथमिकता है; और,

**जबकि,** इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस, IDJJ) की अभिरक्षा में इस पूरे राज्य के पांच इलिनॉय युवा केंद्रों (इलिनॉय यूथ सेंटर) में युवा व्यक्ति हैं जो इन केंद्रों की आवास इकाइयों और अन्य क्षेत्रों में एक-दूसरे से अत्यधिक समीपता व संपर्क के कारण COVID-19 से संक्रमित होने और उसे फैलाने के प्रति अतिसंवेदनशील हैं; और,

**जबकि,** सुधारों की एकीकृत संहिता (यूनिफ़ाइड कोड ऑफ़ करेक्शंस), 730 ILCS 5/3-2.5-20 के अनुसरण में, IDJJ किशोरन्यायालय अधिनियम (जुवेनाइल कोर्ट एक्ट), 1987की धारा 5-750 के अंतर्गत विभाग के सुपुर्द किए गए युवाओं के मामले में, किसी भी युवा को उत्तरचर्या (आफ़्टरकेयर) में दिए जाने का दिनांक और उत्तरचर्या में दिए जाने की स्थिति/शर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकृत है; और,

**जबकि,** IDJJ को COVID-19 हेतु तैयार होने और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अपना कार्य अविलंब जारी रखना होगा और, इस प्रयास के एक भाग के रूप में, IDJJ के निदेशक को युवाओं को रिहा करने के लिए सुधारों की एकीकृत संहिता (यूनिफ़ाइड कोड ऑफ़ करेक्शंस) द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है; और,

**जबकि**, कोयला खनन अधिनियम (कोल माइनिंग एक्ट), 225 ILCS 705, यह आवश्यक करता है कि खनिक परीक्षा बोर्ड (माइनर्स एक्जामिनिंग बोर्ड) द्वारा संचालित मासिक परीक्षाएं किसी सार्वजनिक स्थान पर आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति और उसकी शपथ के अंतर्गत संचालित की जाएं; और,

**जबकि**, यह ज्ञात नहीं है कि परीक्षा के किसी दिनांक विशेष पर खनिक परीक्षा बोर्ड (माइनर्स एक्जामिनिंग बोर्ड) द्वारा संचालित प्रमाणन परीक्षा के लिए कितने आवेदक आएंगे; और,

**जबकि**, COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खनिक परीक्षा बोर्ड (माइनर्स एक्जामिनिंग बोर्ड) द्वारा संचालित प्रमाणन परीक्षाओं को स्थगित कर देना आवश्यक एवं उपयुक्त है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य के लिए इस COVID-19 प्रकोप की प्रतिक्रिया में राज्य के निवासियों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने के उपाय, जिनमें COVID-19 से बड़ी संख्या में बीमार हो रहे आम लोगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी एवं व्याप्ति सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं, तत्काल करना आवश्यक एवं उपयुक्त है;

**अतः**, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(8), और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थकेयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट), 225 ILCS 46/33(g) के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पंजी (हेल्थ केयर वर्कर रजिस्ट्री) में निष्क्रिय होने की स्थिति में उसे प्रमाणित उपचर्या (नर्सिंग) सहायक के रूप में कार्य पर रखे जाने से निषिद्ध करते हैं, बशर्ते वह व्यक्ति (1) 5 वर्ष या इससे कम अवधि से निष्क्रिय स्थिति में हो, (2) निष्क्रिय होते समय उत्तम स्थिति में हो (अपने सभी स्पष्ट दायित्वों के अनुपालन में हो और किसी भी प्रतिबंध, निलंबन या अनुशासनात्मक निंदा के अधीन न हो), और (3) जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) द्वारा जो भी प्रपत्र आवश्यक किए जाएं उन्हें पूरा करके प्रस्तुत करे।

अनुभाग 2. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थकेयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट), 225 ILCS 46/33(l) का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो किसी फ़िंगर-प्रिंट आधारित आपराधिक इतिहास अभिलेख जांच के अनिर्णीत रहने की स्थिति में प्रमाणित उपचर्या (नर्सिंग) सहायकों की सशर्त नियुक्ति को 3 माह तक सीमित करता है। जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) किसी प्रमाणित उपचर्या (नर्सिंग) सहायक को फ़िंगर-प्रिंट आधारित आपराधिक इतिहास अभिलेख जांच के परिणाम प्राप्त किए बिना नियुक्ति को 6 माह से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

अनुभाग 3. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, सुधारों की एकीकृत संहिता (यूनिफ़ाइड कोड ऑफ़ करेक्शंस), 730 ILCS 5/3-2.5-85 का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) के लिए किसी युवा के लक्ष्य रिहाई दिनांक से कम-से-कम 30 दिन पहले अभियोग चलाने वाले राजकीय अधिवक्ता के कार्यालय को लिखित सूचना

देना आवश्यक करता है। विधि के इस उपबंध के अनुसरण में किसी भी रिहाई के संबंध में, किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) यह सुनिश्चित करने के कदम उठाएगा कि राजकीय अधिवक्ता के कार्यालय को जितना संभव हो उतने अग्रिम में या अधिकतम संभव शीघ्रता से सूचित कर दिया जाए।

अनुभाग 4. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, कोयला खनन अधिनियम (कोल माइनिंग एक्ट), 225 ILCS 705/8.06 का वह उपबंध स्थगित रहेगा जो खनिक परीक्षा बोर्ड (माइनर्स एक्ज़ामिनिंग बोर्ड) के लिए हर कैलेंडर माह में एक बार परीक्षा संचालित करना आवश्यक करता है।

---

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 24 मार्च, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 24 मार्च, 2020